

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर

// भर्ती विज्ञापन //

नांक/१६१ /प्रशि०/भर्ती/२०२४

रायपुर, दिनांक ०१/०७/२०२४

छत्तीसगढ़ नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों की पूर्ति छ०ग० शासन, गृह विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-11/दो-गृह/न०से०/०९ दिनांक ०७.०९.२०११ के द्वारा "होमगार्ड के स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में एवं निम्न संशोधनों के अनुक्रम में (१) छ०ग० शासन, गृह विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक-एफ 13-11/रायपुर/दिनांक २४.०७.२०१३ एवं (२) छ०ग० शासन, गृह विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक/३२२९/रायपुर/दिनांक २२.१२.२०१७ के तहत छ०ग० राज्य के संबंधित जिले के मूल निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ नगर सेना की वेबसाइट <https://firenoc.cg.gov.in> पर दिनांक १०.०७.२०२४ से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

०१- वर्तमान भर्ती हेतु प्राधिकार :-

- ५०० स्वयं सेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु- छ०ग० शासन, गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ १३-१८/दो-गृह/न.से./२०२३ दिनांक २४.०१.२०२४
- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्ययोजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु १७१५ महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु- छ०ग० शासन, गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ १३-०८/दो-गृह/न.से./२०२३ दिनांक ०७.०३.२०२४

०२- ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि - १०.०७.२०२४

०३- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि - १०.०८.२०२४

०४- त्रुटि सुधार हेतु - १७.०८.२०२४ तक

०५- परीक्षा शुल्क :-

- अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग - ₹० ३००/-
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - ₹० २००/-

०६- रिक्त पदों का विवरण :-

(i)- ५०० स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद, जनरल ड्यूटी हेतु। (इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देशानुसार ३०% हॉरिजोन्टल आरक्षण रहेगा)

(ii)- १७१५ महिला नगर सैनिकों के पद, (महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्ययोजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु)

- रिक्त पदों की संख्या वर्गवार निम्नानुसार है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है :-

५०० नगर सैनिकों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण (जनरल ड्यूटी हेतु)

500 नगर सैनिका के रिक्त पदों का विवरण

क्र.	जिले का नाम	वर्गवार रिक्तियों का विवरण								योग		कुल योग
		अनारक्षित		अ.पि.वर्ग		अनु.जाति		अनु.जनजाति		पु०	म०	
		पुरुष	महिला	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०			
01	रायपुर	22	9	5	2	5	2	2	0	39	21	60
	देकलाग पद	0	0	0	0	0	0	5	8	37	13	50
02	दुर्ग	24	9	5	2	5	2	3	0	19	6	25
03	बैतार	12	4	3	1	3	1	1	0	20	5	25
04	बालाद	9	3	3	0	2	0	6	2	19	6	25
05	राजनादगाव	9	3	3	1	2	0	5	2	13	2	15
06	कवीरघाम	6	2	2	0	2	0	3	0	54	21	75
07	विलासपुर	28	11	7	3	10	4	9	3			

09	गौ.-पे.-मरवाही	10	3	3	0	5	1	3	0	21	4	25
10	रायगढ़	5	1	3	0	2	0	10	4	20	5	25
11	कोरबा	7	2	3	0	3	1	7	2	20	5	25
12	जांजगीर	7	2	3	0	2	0	8	3	20	5	25
13	अम्बिकापुर	10	3	3	1	4	1	3	0	20	5	25
14	कोरिया	11	4	6	2	3	0	24	10	44	16	60
		10	3	5	1	3	0	13	5	31	9	40
	कुल योग	170	59	54	13	51	12	102	39	377	123	500

महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्ययोजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण

क.	जिले का नाम	वर्गवार विवरण				योग
		अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित	
01	रायपुर	02	01	03	09	15
02	महासमुंद	05	11	06	18	40
03	बलौदाबाजार	06	20	08	21	55
04	गरियाबंद	03	07	03	07	20
05	धमतरी	01	04	02	08	15
06	दुर्ग	02	01	03	14	20
07	राजनादगांव	06	13	07	25	51+4=55
	बैकलाग पद	02	02	0	0	
08	बालोद	03	11	05	16	35
09	बेमेतरा	03	01	03	13	20
10	कबीरधाम	05	08	06	21	40
	योग	38	79	46	152	315
11	बिलासपुर	0	0	0	0	0
12	मुंगेली	08	03	04	15	30
13	गौ.-पे.-मरवाही	05	46	11	18	80
14	जांजगीर	08	05	04	18	35
15	कोरबा	06	26	09	22	2+63=65
	बैकलाग पद	01	01	0	0	
16	रायगढ़	07	18	07	20	52+3=55
	बैकलाग पद	01	01	01	0	
	योग	36	100	36	93	265
17	जगदलपुर	03	82	18	26	129+1=130
	बैकलाग पद	01	0	0	0	
18	दन्तेवाड़ा	04	76	14	06	100
19	कांकर	03	40	09	18	70
20	नारायणपुर	02	35	07	05	49+1=50
	बैकलाग पद	01	0	0	0	
21	बीजापुर	06	74	13	05	98+22=120
	बैकलाग पद	03	12	07	0	
22	सुकमा	02	88	07	08	105+30=135
	बैकलाग पद	01	27	02	0	
23	कोण्डागांव	04	70	14	12	100
	योग	30	504	91	80	705
24	अम्बिकापुर	04	53	14	23	94+6=100
	बैकलाग पद	02	0	04	0	
25	सूरजपुर	02	22	08	18	50

26	बैकुंठपुर कोरिया	07	34	11	27	79+1=80
	बैकलाग पद	0	0	01	0	
27	जशपुर	05	61	14	19	99+1=100
	बैकलाग पद	01	0	0	0	
28	बलरामपुर	04	62	14	20	100
				66	107	430
	योग	25	232	239	432	1715
	कुल योग	129	915			

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस0एल0पी0 (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

07- सीधी भर्ती के लिये पात्रता एवं शर्तें-

- (1) उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूलनिवासी होना चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा।
- (2) उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
- (3) उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत् अच्छा होना चाहिए।

08- वेतनमान-

- (1) यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे।
- (2) नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।
- (3) इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे।

09- आयुसीमा :-

- 01- किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक अर्थात् 01 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 02- आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

10- शैक्षणिक अर्हताएं :-

- 01- सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिये 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- 02- अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- 03- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य, ओपी0वर्ग, एवं अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 5वीं पास होना आवश्यक है।

11- शारीरिक अर्हता :-

- (क) ऊंचाई- 168 से.मी. या उससे अधिक (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) 153 से.मी. या उससे अधिक (राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जशपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 158 से.मी. या अधिक (शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए)
- (ख) सीना- बिना फुलाए 81 से.मी. (अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए 76 से.मी.) तथा फुलाने पर 86 से.मी. (अ.ज.जा. अभ्यर्थियों हेतु 81 से.मी.) अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने पर कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार का छूट नहीं दी जावेगी। (महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेंगी)
- (ग) अभ्यर्थी में नाक नी, फ्लेट फुट ना हो एवं वह शारीरिक रूप से अपंग नही होना चाहिए। यह अर्हता सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए।

उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अपील करने की स्थिति में अपील समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श लिया जा सकेगा।

अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।

शारीरिक दक्षता परीक्षा :-

क्र०	पुरुषों के लिए	कुल अंक	महिलाओं के लिए	कुल अंक
01	100 मीटर दौड़	25	800 मीटर दौड़	50
02	800 मीटर दौड़	25	लम्बी कूद	25
03	लम्बी कूद	25	ऊँची कूद	25
04	ऊँची कूद	25	योग अंक	100
	योग अंक	100		

उपरोक्त सभी आयटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में से 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आयटमों में भाग लेना अनिवार्य होगा। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जावेगा।

लिखित परीक्षा :- शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा अर्थात् लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावेगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा इसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जावेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	विवरण	बोनस अंक
1	जिसने विद्यालय/महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले तीन वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया हो।	05 अंक
2	नाविक, तैराक एवं गोताखोर चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे।	10 अंक
3	एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र धारी	05 अंक
4	ड्रायविंग लाइसेंस हैवीवाहन	05 अंक
5	नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राज मिस्त्री, प्लम्बर और माली (इनमें से किसी एक ट्रेड के लिये) चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे। इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, बढ़ई का (इनमें से किसी एक ट्रेड के लिये) अधिकृत संख्या का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने एवं चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे।	05 अंक
6	उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी टायपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो, उसे ही बोनस अंकों की पात्रता होगी।	05 अंक

टीप- उपरोक्त सरल में उल्लेखित दो या दो से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अधिकतम 20 बोनस अंकों के ही पात्र होंगे।

- (क) अनस्किल्ड ट्रेड के लिए जिला स्तरीय उप समिति परीक्षण कर प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
 (ख) बोनस अंको के लिए अधिकतम 20 अंक निर्धारित है किसी भी उम्मीदवार को 20 बोनस अंको से अधिक प्रदान नहीं किए जाएंगे, भले ही 20 बोनस अंको से अधिक की योग्यता रखता हो।
 (ग) बोनस अंक वरीयता सूची (मेरिट सूची) तैयार करते समय ही दिए जाएंगे। इससे पूर्व किसी स्तर पर बोनस अंक नहीं दिए जावेंगे।

14- चयन सूची :- शारीरिक प्रवीणता टेस्ट 100 अंक एवं लिखित परीक्षा 100 अंक तथा बोनस 20 अंक (केवल पात्रतानुसार) कुल पूर्णांक 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जावेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के लिए पृथक सूचियां बनाई जावेगी।

जनरल ड्यूटी हेतु 500 स्वयं सेवी सैनिकों के पद हेतु 30% हॉरिजोन्टल आरक्षण अनुसार महिलाओं की पृथक सूचियां बनाई जावेगी, किन्तु चूंकि महिलाओं का आरक्षण खंडवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलाएं उपलब्ध न होने से पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किए जायेंगे। अतः जिस वर्ग की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगी उस पद को उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरा जावेगा।

विज्ञप्त पदों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।

उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया रायपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर संभागीय मुख्यालयों में की जावेगी अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाईन आवेदन करें।

जिलावार रिक्त पदों तथा भर्ती संबंधी नियमों के विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट <https://firenoc.cg.gov.in> पर अवलोकन किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अन्य संबंधित जानकारी हेतु समय-समय पर छत्तीसगढ़ नगर सेना की उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

टीप : महिला अभ्यर्थियों हेतु जनरल ड्यूटी के पदों एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्ययोजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की भर्ती पृथक-पृथक होगी। महिला अभ्यर्थी इन दो श्रेणी के पदों में किसी एक पद के लिए ही ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगी। महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा हेतु चयनित महिला नगर सैनिकों को जिले के दूरस्थ छात्रावासों में सुरक्षा हेतु पदस्थ किया जावेगा।

• आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

(1) शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र (2) संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र (3) जाति प्रमाण पत्र (4) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (5) 02 नग पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (6) आत्मसमर्पित नक्सली/नक्सल पीड़ित हेतु छूट की आवश्यकता हो तो जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र।

• बोनस अंक हेतु :- (1) संभाग स्तरीय/विश्व विद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्राप्त पदक का प्रमाण पत्र (2) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र (3) ड्रायविंग लाइसेंस भारी वाहन (4) हिन्दी टायपिंग प्रमाण पत्र।

अतिरिक्त महानिदेशक

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन

सेवाएं तथा एसडीआरएफ (छ.ग.)